<u>**वित्तीय स्वीकृति वर्ष 2016-17**</u>

<u>**संख्या-11/2017/254/पन्द्रह-10-2017-33(17)/2014**</u>

प्रेषक,

पद्माकर शुक्ला,
अनु सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक(मा0),
उ0प्र0 लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-10 लखनऊ: दिनांक 16 फरवरी, 2017

विषय- राजकीय बालिका इण्टर कालेजों में शौचालय ब्लाक्स की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में वित्तीय स्वीकृति (वित्तीय वर्ष 2016-17)।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-नियोजन/14227/2016-17 दिनांक 15-12-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय प्रदेश के 160 राजकीय बालिका इण्टर कालेजों में शौचालय ब्लाक्स की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा मूल्यांकित एवं व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित प्रति शौचालय ब्लाक्स रू0 19.46 लाख की दर से निर्माण कार्य कराये जाने हेतु उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए शासनादेश संख्या-727/पन्द्रह-10-2016-33(17)/2014 दिनांक 22-03-2016 मूल्यांकित एवं अनुमोदित लागत प्रति शौचालय ब्लाक्स रू0 19.46 लाख की दर से 160 शौचालय ब्लाक्सकी स्थापना हेतु रू0 31,13,60,000.00 की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किशत के रूप में प्रति शौचालय ब्लाक्स रू0 10.00 लाख की दर से 160 शौचालयब्लाक्स के निर्माण हेतु रू0 16,00,00,000.00 की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के क्रम में कार्यदायी संस्था द्वारा 140 शौचालय ब्लाक्स के निर्माण हेतु स्वीकृत की गयी धनराशि का उपभोग कर लिये जाने के क्रम में द्वितीय एवं अंतिम किशत के रूप में प्रति शौचालय ब्लाक्स रू0 9.46 लाख की दर से रू0 1324.40 लाख की स्वीकृति शासनादेश संख्या-95/2016/2837/पन्द्रह-10-2016-33(17)/2014 दिनांक 01-12-2016 द्वज़ारा निर्गत की गयी। अवशेष 20 शौचालय ब्लाक्स में से 15 शौचालय ब्लाक्स हेतु स्वीकृत प्रथम किशत की धनराशि उपभोग कर लिये जाने की दशा में द्वितीय एवं अंतिम किशत के रूप में प्रति शौचालय ब्लाक्स रू0 9.46 लाख की दर से रू0 141.90 लाख (रूपये एक करोड़ इकतालिस लाख नब्बे हजार मात्र) की स्वीकृति की धनराशि की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) निर्माण कार्य अनुमोदित मितव्ययी आगणन पर नामित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 द्वारा किया जायेगा। सक्षम स्तर से लिखित आदेशों के बिना कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी सम्बन्धित जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक/सम्बन्धित राजकीय बालिका इण्टर कालेज के प्रधानाचार्या की होगी तथा वे यह सुनिश्चित करेगें कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा तथा यथासमय उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in/

(4) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(5) यह भी सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत किए जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित है।

(6) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।

(7) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान नियमानुसार श्रम विभाग को किया जायेगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि शिक्षा निदेशक(मा0) उ0प्र0 लखनऊ द्वारा राजकोष से आहरित कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायेगें।

(9) उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-72 के आयोजनागत लेखा शीर्ष-**"4202-शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-01-सामान्य शिक्षा-202-माध्यमिक शिक्षा-19- राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का सुदृढीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं का विकास-24-वृहद निर्माण कार्य"** के नामे डाला जायेगा।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 में प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं। उक्त कार्यालय ज्ञाप की शर्तों/प्रतिबन्धों का अक्षरश: अनुपालन किया जायेगा।

<u>**संलग्नक-जनपदवार सूची**</u>

भवदीय,

(पद्माकर शुक्ला)
अनु सचिव।

<u>**संख्या-11/2017/254(1)/15-10-2017, तददिनांक**</u>

प्रतिलिपि निम्लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)प्रथम/(लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी, सम्बन्धित जनपद ।
3. जिला विद्यालय निरीक्षक, सम्बन्धित जनपद।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ ।
5. प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 गोमती बैराज लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, शिक्षा निदेशालय(मा0), उ0प्र0, इलाहाबाद।
7. उप शिक्षा निदेशक(शिविर) कार्यालय, शिक्षा निदेशालय, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11
9. ग्रिड रिपोर्ट हेतु श्री शत्रुन्जय कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(पद्माकर शुक्ला)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/

शासनादेश संख्या-11/2017/254/पन्द्रह-10-2017-33(17)/2014 दिनांक 16 फरवरी, 2017 द्वारा 15 राजकीय बालिका इण्टर कालेजों में निर्माणाधीन शौचालय ब्लाक्स के निर्माण हेतु प्रति शौचालय ब्लाक्स रू0 9.46 लाख की दर से स्वीकृत की जा रही धनराशि/जनपदों की सूची:-

क्र0सं0	**जनपद का नाम**	**राजकीय बालिका इण्टर कालेजों की संख्या**	**अनुमोदित लागत रू0 19.46 लाख प्रति शौचालय ब्लाक्स की दर से कुल देय धनराशि (लाख रू0 में)**	**स्वीकृत धनराशि (लाख रू0 में)**	**अवशेष धनराशि (लाख रू0 में)**	**अभ्युक्ति**
1	औरैया	01	19.46	10.00	9.46	
2	उन्नाव	04	77.84	40.00	37.84	
3	लखनऊ	01	19.46	10.00	9.46	
4	सहारनपुर	08	155.68	80.00	75.68	
5	सम्भल	01	19.46	10.00	9.46	
	कुल योग	**15**	**291.90**	**150.00**	**141.90**	

(रूपये एक करोड़ इकतालिस लाख नब्बे हजार मात्र)

(पद्माकर शुक्ला)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/